

 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)	 उप क्षेत्रीय कार्यालय / Sub-Regional Office 'पंचदीप भवन', पी-4, एम.आय.डी.सी., सातपुर नासिक-422009. 'Panchdeep Bhawan', P-4, M.I.D.C., Satpur, Nasik - 422007. Phone: 0253-2351043 Email: jd-nasik@esic.nic.in
---	--

सं.-36/-ए/20/11(वेतन निर्धारण)/स्थापना/2015

दिनांक :- 03.04.2025

कार्यालय आदेश संख्या 2025 का 36 (प्र)

मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या 2024 के 204 (प्र), दिनांकित 21.09.2022 के अनुपालन में, हस्ताक्षरकर्ता, सहायक निदेशक (वित्त), उप क्षेत्रीय कार्यालय नासिक के सहमति उपरांत, निम्नलिखित नव पदोन्नत SSO (सा.सु.अधिकारी) का वेतन निर्धारण 01.07.2025 पूर्वाहन (FN) से, वेतन स्तर 7 के तहत, एफआर 22 (I)a(1) के अंतर्गत एवं सी.सी.एस (संसोधित वेतन) नियम 2016 के नियम 13 के अनुसार, निम्नलिखित तरीके से स्वीकृत किया गया है :-

1	नाम एवं पदनाम	1) श्री एस. आर पोल, सा.सु.अधिकारी 2) श्री दिनकर वाकडे, सा.सु.अधिकारी 3) श्री विठ्ठल बागुल, सा.सु.अधिकारी
2	पदोन्नति से पहले का पद (पूर्व पद)	सहायक/ प्रधान लिपिक
3	पूर्व पद पर वेतन और वेतनमान (निर्धारण से पूर्व 01.07.2025 से पहले)	47,600/- (स्तर 6, सूचकांक 11)
4	जिस वेतनमान में पदोन्नति की गयी है	स्तर 07 (7वें सी.पी.सी. के अनुसार)
5	पदोन्नति की तिथि	01.01.2025
6	तिथि जब से वेतन निर्धारण किया जाएगा	01.07.2025 (विकल्प चयनित- वेतन वृद्धि की तिथि)
7	संसोधित वेतन संरचना में वेतन	47,600/- (स्तर-7)
8	01.01.2025 से 30.06.2025 तक का वेतन	47,600/- (स्तर-7)
9	3 में दर्शाये गए स्तर में एक वृद्धि देने के बाद का वेतन (पूर्व संवर्ग में नियमित वृद्धि)	49,000/- (स्तर 6)
9	अगले वृद्धि के तिथि पर वेतन निर्धारित (i)	50,500/- (स्तर-7) 01.07.2025 से प्रभावी
10	अगले वृद्धि की तिथि	01/01/2026 (यदि लागू हो तो) या अन्यथा
11	टिप्पणी	01.01.2025 से सा.सु.अधिकारी के पद पर पदोन्नत

सहायक निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

- 1) श्री एस. आर पोल, सा.सु.अधिकारी
- 2) श्री दिनकर वाकडे, सा.सु.अधिकारी
- 3) श्री विठ्ठल बागुल, सा.सु.अधिकारी

प्रति :-

1. सहायक निदेशक, रोकड़ शाखा, का.रा.बी. निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय नासिक, जानकारी एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. सहायक निदेशक, वित्त एवं लेखा शाखा, का.रा.बी. निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय नासिक, जानकारी एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल।
4. व्यक्तिगत फ़ाइल।
5. राजभाषा शाखा को हिंदी अनुवाद के लिए।